



क्रमांक/772/D.U.H.S./गोप./2022

रायपुर, दिनांक 25/4/2022

//अधिसूचना//

अनुचित साधन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 के निर्णयानुसार - निम्नलिखित छात्र के अनुचित साधन प्रकरण पर रेगुलेशन 10 के बिन्दु क्रमांक 02 की श्रेणी में इन्हें "Cancellation of that paper of the examination day." से दंडित किया जाता है। संबंधित छात्र की विषय "Community Medicine-I" की परीक्षा दिनांक 21.03.2022 को निरस्त किया जाता है। छात्र "Community Medicine-I" की आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
19010460	एम.बी.बी.एस. अंतिम भाग-एक परीक्षा मार्च-2022	बलवीर	पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 25/4/2022

पृ. क्रमांक/489/D.U.H.S./गोप./2022

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों द्वारा अधिष्ठाता, पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।

कुलसचिव